यू. पी. राज्य

बनाम

गोविंद दास उर्फ गुड्डा और अन्य

10 अगस्त, 2007

(डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, जे जे)

दंड संहिता, 1860 ।

धारा 302/34- विचारण न्यायालय ने एक आरोपी को बरी कर दिया- दूसरे आरोपी को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई और बाकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई- अपील और मृत्युदण्ड की सजा से संबंधित निर्देश- उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया- अपील पर उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अस्थिर है- केवल यह तथ्य कि सह-आरोपी को बरी कर दिया गया था, अभियोजन पक्ष के कथन को पूरी तरह से खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है- दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त करते समय उच्च न्यायालय को यह दिखाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना

चाहिए था कि किसी भी गवाह के साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष कैसे गलत था जो नहीं किया गया है-मामला नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

सत्र न्यायाधीश ने प्रत्यर्थीगण को धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड सहिंता के दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था। प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 को धारा 302 भादंसं के तहत दंडनीय अपराध के लिए मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई थी। एक अन्य आरोपी ''एस'' को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। दोनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की और मृत्युदंड दिए जाने के संबंध में निर्देश किया गया। आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को निर्दोष पाया और दोषसिद्धि और दी गई सजा को अपास्त कर दिया। इसलिए ये अपीलें की जाती हैं।

आंशिक रूप से अपीलों को स्वीकार करते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया: उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से

असमर्थनीय है। इसने साक्ष्य का विश्लेषण करने और/या विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए किसी भी निष्कर्ष का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं समझी कि साक्ष्य किस प्रकार से स्वीकार्य नहीं था। केवल यह तथ्य कि सह-अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया था, अभियोजन पक्ष के कथन को पूरी तरह से अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह समझ में नहीं आया कि इसका क्या अर्थ था उच्च न्यायालय द्वारा यह कहते हुए कि अनुसंधान से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। यह मृत्यु दण्ड की पुष्टि के लिए अपील या निर्देश के निपटारे का तरीका नहीं है।

जब उच्च न्यायालय दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त कर रहा था तो कम से कम साक्ष्य का विश्लेषण करने की आवश्यकता थी ताकि यह दिखाया जा सके कि किसी भी गवाह की साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष कैसे गलत थे, जो कि प्रकट होता है कि नहीं किया गया है। (पैरा 4, 1970-ई, एफ, जी,)

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं 1049-1050/2007

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 2002 की आपराधिक अपील संख्या 4978 और क्रिमिनल अपील संख्या 5234/2002 और 2002 की के निर्देश संख्या 8 में न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 17.05.2005 से।

अपीलार्थियों की ओर से सहदेव सिंह, जावेद महमूद राव और शाहिद अली राव।

प्रत्यर्थीगण की ओर से संजय जैन, आनंद ठकराल, मुकेश त्यागी और आदित्य कुमार ।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति स्वीकार की गई।

2. ये अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले के विरूद्ध हैं जिसके द्वारा प्रत्यर्थीयों को दोषमुक्त करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीयों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर द्वारा पारित निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाया था, जिसमें प्रत्यर्थीयों को भारतीय दण्ड सहिंता 1860 (संक्षेप में आई. पी. सी.), कि धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय

दण्ड सहिंता के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, प्रत्येक अभियुक्त को डीफाल्ट शर्त के साथ आजीवन कारावास की सजा और रूपये 20000/- का जुर्माने की सजा सुनाई गई। प्रत्यर्थी- गोविंद दास को भा0 दं0 सं की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दो मृतक व्यक्ति थेः- एक लोकनाथ थे और दूसरे नवल किशोर थे। विचारण न्यायालय ने आरोपी सुशीला को बरी कर दिया था। चूंकि आरोपी गोविंद दास को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई थी इसलिये सजा की पुष्टी के लिए मामला उच्च न्यायालय को रेफर किया गया था। दोनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और दी गई मृत्यु दण्ड की सजा के संबंध में एक निर्देश किया गया। आक्षेपित आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को निर्दोष पाया और दोषसिद्धि और दी गई सजा को अपास्त कर दिया।

3. यद्यपि अपीलों के समर्थन में कई बिंदुओं पर बहस की गई थी, लेकिन आकस्मिक और संक्षिप्त तरीकों के कारण हमें उनपर विचार करना अनावश्यक लगता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अ. दोनों अपीलों का निपटारा और मृत्युदंड से संबंधित संदर्भ। उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और रुख का विश्लेषण करने के बाद अपने 23 पृष्ठों के फैसले (इस न्यायालय की कागजी पुस्तक में) में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ आरोपी व्यक्तियों की अपील को अनुमति दी।

ब. हमने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। हमारी राय में दोनों चश्मदीद गवाहों की गवाही का अंर्तनिहित साक्ष्य नहीं रखे जा सकते हैं। उन्होंने श्रीमती सुशीला को अपराध में फंसाया है। श्रीमती सुशीला की भागीदारी प्रत्यक्ष तौर पर और चिकित्सक साक्ष्य पर संघर्ष को सुलझाने की थी।

स. चूँकि लोकनाथ के शरीर पर छेद जो थे वो छोटे घाव के आकार के थे, इसलिए गवाहों द्वारा हथियार बरछी और नुकीले सरियों को पेश किया गया था। श्रीमती सुशीला के दोषमुक्ति होने के बाद छेद किये हुए घाव अस्पष्ट बने हुए हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश पहले ही यह तय कर चुके हैं कि जिस बल्लम को जयकिशन की निशानदेही पर बरामद करने का आरोप है वह

अपराध का हथियार नहीं है। इसकी किसी अन्य स्वतंत्र गवाही या चिकित्सा साक्ष्य या अनुसंधान से कोई पुष्टि नहीं होती है।

द. उपरोक्त निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुए दोनों अपीलों को स्वीकार किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को आरोपों से बरी किया जाता है। अपीलकर्ताओं जेल में है। यदि किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। मृत्युदण्ड की पुष्टि के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्देश खारिज किया जाता है।

4. कम से कम कहने के लिए, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है। इसने साक्ष्य का विश्लेषण करने और/या विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं समझी कि किस तरह से साक्ष्य स्वीकार्य नहीं थे। केवल यह तथ्य कि सह-अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया था, अभियोजन पक्ष के कथन को उसकी समग्रता से खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह समझ में नहीं आता है कि उच्च न्यायालय का यह कहने का क्या मतलब था कि 'अनुसंधान' की कोई पुष्टि नहीं हुई थी।

मृत्युदण्ड की पुष्टि के लिए अपील या निर्देश को इस तरह निपटाया नहीं जाना चाहिये। जब उच्च न्यायालय दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त कर रहा था तो कम से कम साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक था ताकि यह प्रकट किया जा सके कि किसी गवाह के साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष कैसे गलत थे। प्रकट है कि ऐसा नहीं किया गया है।

5. इसलिए, मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं और मामले को इसे नये सिरे से विचार करने के लिए प्रेषित करते हैं। चूंकि मामला लंबे समय से लंबित है, इसलिए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह इसकी प्रति प्राप्त होने की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर मृत्युदण्ड की पुष्टि से संबंधित अपीलों और निर्देशों के निपटारे की संभावना तलाशें। निर्णय तदनुसार उपरोक्त सीमा तक अपीलें स्वीकार की जाती है।

डी जी. अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पुखराज गहलोत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।